||/ /

संख्याः– 612 /XXVII(1)/2010

प्रेषक,

एल०एम०पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार),
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून::दिनांकः 23 :नवम्बर,2010

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला अल्मोड़ा,बागेश्वर,चमोली एवं हरिद्वार की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किश्त हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार जिला अल्मोड़ा, बागेश्वर,चमोली एवं हरिद्वार की समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रथम किश्त हेतु कुल धनराशि **₹47512000.00 (चार करोड़ पचहत्तर लाख बारह हजार मात्र)** संलग्नक विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2–उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

i)– संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी। क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

ii) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को संक्रमित धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चैक/क्रास्ट बैंक ड्राफ्ट द्वारा 15 दिन के भीतर खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

3– संक्रमित धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्याः– 1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के अनुसार व्यय की जायेगी। इसमे किसी प्रकार का व्यावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त ही बदलाव अनुमन्य होगा।

A.A.C

29/12/10

4– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

5– उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त कर सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

6– संक्रमित धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–03–राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्याः–612 (1)/XXVII(1)/2010 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुँमाऊ मण्डल,उत्तराखण्ड।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, पंचायती राज,उत्तराखण्ड।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी,उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,अल्मोड़ा,बागेश्वर,हरिद्वार,चमोली उत्तराखण्ड।
9– खण्ड विकास अधिकारी,अल्मोड़ा,चमोली,बागेश्वर,हरिद्वार उत्तराखण्ड।
10–निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

22/11/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्याः- 612 /XXVII(1)/2010 दिनांकः 23 नवम्बर,2010 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को देय अनुदान का संकमण वर्ष 2010-11

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र0 सं0	जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	प्रथम किश्त
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	545
		भिक्यिासैण	809
		चौखुटिया	965
		धौलादेवी	1988
		द्वाराहाट	1194
		हवलबाग	1105
		लमगड़ा	1320
		सल्ट	1699
		स्याल्दे	1359
		ताकुला	732
		ताडीखेत	1851
		योगः-	**13567**
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	2007
		गरूड़	941
		कपकोट	1858
		योगः-	**4806**
3-	हरिद्वार	बहादराबाद	6267
		भगवानपुर	3305
		खानपुर	1018
		लक्सर	2003
		नारसन	2816
		रुड़की	2430
		योगः-	**17839**
4-	चमोली	दशोली	1142
		देवाल	898
		गैरसैण	1771
		घाट	830
		जोशीमठ	2479

22/11/2010

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों को देय अनुदान का संकमण वर्ष 2010–11

(धनराशि हजार ₹ में)

		कर्णप्रयाग	1517
		नारायणबगड़	840
		पोखरी	1011
		थराली	812
		योगः–	**11300**
		महायोगः–	**47512**

(₹ चार करोड़ पचहत्तर लाख बारह हजार मात्र)

22/11/2010

(एल.एम.पन्त)
सचिव, वित्त।